ध्रिपति
मराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
CHANCELLOR
DR. BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, AGRA

राजभवन, लखनऊ
RAJ BHAWAN, LUCKNOW

संख्याः ई–57 / जी0एस0

दिनांक : 03 ~~दिसम्बर, 2023~~ जनवरी 2024

आदेश

1. श्री नीरज गोयल, 20 प्रभु नगर, जयपुर हाउस, आगरा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट ए संख्याः 1944/2023 में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 02.02.2023 के कम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 13.02.2023 के माध्यम से डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के आदेश दिनांक 28.12.2022 को निरस्त करते हुये प्रत्यावेदक की सेवा विस्तारित कराये जाने की याचना की गयी है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से प्रत्यावेदक की स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर पद की नियुक्ति विधि विरूद्ध होने के कारण उनके सेवा विस्तार संबंधी प्रत्यावेदन दिनांक 29.06.2022 को निरस्त कर दिया गया है।

प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन दिनांक 13.02.2023, विश्वविद्यालय की आख्या दिनांक 31.03.2023 एवं प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 15.05.2023 के आधार पर प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नवत् हैं :

2(अ). प्रत्यावेदक का कथन है कि उसके द्वारा विश्वविद्यालय के सेठ पदमचन्द जैन संस्थान में वर्ष 2004 से वर्ष 2011 तक अनवरत छात्र सहायक के रूप में अनुबन्ध पर सेवायें प्रदान की गयी थीं। प्रत्यावेदक वर्ष 2011 के बाद से अपनी सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने हेतु अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता रहा। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 के मद संख्या–7 में विचारोपरान्त पूर्व की सेवाओं के आधार पर स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रत्यावेदक को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर अनुबन्ध पर नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त कार्य परिषद की बैठक दिनांक 22.10.2018 के मद संख्या 01 पर कार्य परिषद के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 25.11.2017 की सम्पुष्टि होने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार की राय में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–21 के

अनुसार कार्य परिषद सर्वोच प्राधिकारी निकाय है तथा कार्य परिषद के निर्णय कुलपति, कुलसचिव, अन्य प्राधिकारियों एवं अधिकारियों के लिये बाध्यकारी होना बतलाया गया। किन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा कार्य परिषद के उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन नहीं कराया गया। प्रकरण में पुनः कार्य परिषद की बैठक दिनांक 01.10.2019 के मद संख्या 02 पर लिये गये निर्णय पर भी प्रत्यावेदक का नियुक्ति पत्र तत्कालीन कुलसचिव के द्वारा जारी नहीं किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन से किसी भी तरह की राहत एवं न्याय न मिलने के कारण प्रत्यावेदक द्वारा योजित रिट याचिका संख्या 9995/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2021 एवं कार्य परिषद के संकल्प संख्या 07 दिनांक 20.01.2021 के अनुपालन में प्रत्यावेदक को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियत रू0 18000/ प्रतिमाह पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर सेठ पदमचन्द्र जैन संस्थान, खंदारी परिसर में कतिपय शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नियुक्ति पत्र दिनांक 16.04.2021 जारी किया गया, जबकि संदर्भित शर्तों का उल्लेख न तो मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में था और न ही कार्य परिषद द्वारा लिये गये किसी निर्णय में था।

2(ब). प्रत्यावेदक का कथन है कि नियुक्ति पत्र में अंकित शर्त "जिसमें एक वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त प्रत्यावेदक के कार्य एवं आचरण का संज्ञान लेते हुए उक्त नियुक्ति को विस्तारित किया जायेगा।" के अनुक्रम में पदमचन्द जैन संस्थान के निदेशक द्वारा प्रत्यावेदक के कार्य एवं आचरण को संतोषजनक बताते हुए सेवा विस्तार के लिये संस्तुति प्रदान की गयी, परन्तु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सेवा विस्तारण संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया। प्रकरण में पुनः योजित रिट याचिका संख्याः 10541/2022 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 द्वारा विश्वविद्यालय के कुलसचिव को प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन दिनांक 29.06.2022 पर संस्थान के निदेशक द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर छः सप्ताह में "Reasoned & Speaking Order" जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। तत्क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में

प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों को सहायक कुलसचिव (प्रशासन) ने प्राप्त किया एवं उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर कराकर बिना किसी सदस्य द्वारा कोई प्रश्न आदि पूछे, प्रत्यावेदक को जाने के लिए कह दिया गया। तदुपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों एवं कार्य परिषद के विभिन्न निर्णयों को अपने कार्यालय आदेश दिनांक 28.12.2022 में नजरंदाज करते हुए दुर्भावना से प्रेरित श्री अरूण कुमार दीक्षित, अधिवक्ता की विधिक राय के आधार पर प्रत्यावेदक के सेवा विस्तार संबंधी प्रत्यावेदन दिनांक 29.06.2022 को निरस्त/निक्षेपित कर दिया गया, जबकि विश्वविद्यालय में प्रत्यावेदक के समकक्ष पद पर श्री राकेश शर्मा का अनुबन्ध विस्तारित कर दिया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

3(अ). विश्वविद्यालय का कथन है कि कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 के मद संख्या 07 में प्रत्यावेदक श्री नीरज गोयल के प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रत्यावेदक द्वारा वर्ष 2004 से 2011 तक छात्र सहायक के रूप में अनुबन्ध पर सेवाएं दी गयी थीं। प्रत्यावेदक स्ववित्त पोषित अनुबन्धित कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। अनुबन्धित कर्मचारियों की नियुक्ति निश्चित समयावधि के लिए होती है और समयावधि समाप्त होने पर अनुबन्ध स्वयं समाप्त हो जाता है, इसी क्रम में प्रत्यावेदक का कार्यकाल वर्ष 2011 में समाप्त हो गया था। जिस पाठयक्रम में नियुक्त की जाती है, उसकी आय–व्यय का लेखा–जोखा अलग से रखा जाता है तथा विश्वविद्यालय के बजट में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के आय–व्ययक को एक अलग मद के रूप में दिखाया जाता है। विश्वविद्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रत्यावेदक से वर्ष 2011 के बाद दिनांक 15.04.2021 तक विश्वविद्यालय द्वारा कोई सेवा नहीं ली गयी है और न ही शासनादेश दिनांक 04.02.2000 के सापेक्ष उनके पद सृजन से सम्बन्धित अभिलेख ही उपलब्ध हैं। प्रत्यावेदक का वर्ष 2011 में अनुबन्ध समाप्त होने के उपरान्त प्रत्यावेदक द्वारा किसी प्रकार के सेवा विस्तार हेतु न तो अनुरोध किया गया है और न ही विश्वविद्यालय द्वारा उनका सेवा विस्तार किया गया है।

3(ब). विश्वविद्यालय द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि डी0एस0 कॉलेज, अलीगढ़ के प्राचार्य के पत्र दिनांक 23.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रत्यावेदक द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 15.04.2021 तक डी0एस0 कॉलेज, अलीगढ़ में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में कार्यालय सहायक (अंशकालिक) पद पर कार्य किया गया है तथा 07 वर्ष उपरान्त स्वयं की सेवा विस्तार संबंधी पुनः प्रत्यावेदन कुलपति को प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 में पूर्व सेवाओं के आधार पर प्रत्यावेदक को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर अनुबन्ध पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त कार्य परिषद की बैठक दिनांक 22.10.2018 में तत्कालीन कुलसचिव ने प्रत्यावेदक को संविदा कर्मी के रूप में नियुक्त करने के निर्णय पर आपत्ति दर्ज की। उक्त निर्णय की पुष्टि कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 के मद संख्या–7 पर की गयी। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 01.10.2019 में प्रकरण पुनः लाया गया, जिसकी मद संख्या 02 में प्रत्यावेदक को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया, परन्तु तत्कालीन कुलसचिव के After thought के कारण नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदक द्वारा योजित रिट याचिका संख्या 9995/2020 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 19.02.2021 पारित किया गया। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.01.2021 में कतिपय व्यवहारिक आपत्तियों पर चर्चा के बावजूद कार्य परिषद की पूर्व बैठकों के निर्णय के आलोक में प्रत्यावेदक को पुनः नियुक्ति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। कार्य परिषद की उक्त बैठक में इस प्रकरण से सम्बन्धित कतिपय व्यवहारिक आपत्तियों (मुख्य रूप से स्ववित्त पोषित पाठयक्रम में पदों का सृजन शासनादेश दिनांक 04.02.2000 में दिये गये नियम व शर्तों के अनुपालन सम्बन्धी कोई भी पत्रावली विभाग में नहीं पायी गयी है) के दृष्टिगत तत्कालीन कुलसचिव ने After thought के कारण नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया। रिट याचिका संख्या 9995/2020 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2021 के क्रम में तत्कालीन कार्यवाहक कुलसचिव ने कार्य परिषद के निर्णय दिनांक 20.01.2021 के

अनुपालन से इंकार किये जाने के उपरान्त कुलपति के वैयक्तिक सहायक द्वारा नियुक्ति पत्र दिनांक 16.04.2021 सशर्त जारी किया गया।

3(स). विश्वविद्यालय का कथन है कि चूँकि तत्कालीन कुलपति प्रो0 अशोक मित्तल को कुलाधिपति के आदेश दिनांक 05.07.2021 द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति पद से विरत करते हुए उनके कार्यकाल में हुई प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की जॉच हेतु कुलाधिपति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना पांडया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जॉच बिन्दुओं में प्रत्यावेदक की नियुक्ति का प्रकरण भी आच्छादित था, इसलिये प्रत्यावेदक के सेवा विस्तार संबंधी प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विचार नहीं किया गया। तदुपरान्त प्रत्यावेदक द्वारा योजित रिट याचिका संख्या 10541/2022 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुक्रम में प्रत्यावेदक के प्रकरण के निस्तारण हेतु एक समिति का गठन किया गया। गठित समिति की बैठक दिनांक 20.12.2022 में प्रत्यावेदक के प्रकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय अथवा आदेश नहीं दिया गया। तदुपरान्त प्रकरण के निस्तारण हेतु विश्वविद्यालय के अधिवक्ता डा0 अरूण दीक्षित से भी दिनांक 06.12.2022 को विधिक अभिमत प्राप्त किया गया। तत्कालीन कुलपति प्रो0 अशोक मित्तल के कार्यकाल में हुई प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की जॉच हेतु मा0 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना पांडया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की आख्या के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता द्वारा प्रदत्त विधिक राय के आलोक में गठित समिति द्वारा प्रत्यावेदक की नियुक्ति विधि विरूद्ध होने के कारण उनके सेवा विस्तार संबंधी प्रत्यावेदन दिनांक 29.06.2022 को निरस्त/निक्षेपित किये जाने संबंधी की गयी संस्तुति को कुलपति द्वारा दिनांक 27.12.2022 को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

4(अ). विश्वविद्यालय के कथनों को विरोधाभासी बतलाते हुये तथा अपने प्रत्यावेदन के कथनों पर बल देते हुए प्रत्यावेदक द्वारा प्रत्युत्तर (Rejoinder) में उल्लेख किया गया है कि विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 में प्रत्यावेदक

की पूर्व की सेवाओं के आधार पर उसे विश्वविद्यालय में नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्य परिषद के उक्त बैठक का कार्यवृत्त जारी होने के पश्चात उस पर तत्कालीन कुलसचिव द्वारा दर्ज आपत्ति का तथ्य सामने लाया जाना कार्यवृत्त पर दोषारोपण एवं सर्वथा अनुचित है। कार्य परिषद की बैठक में समस्त निर्णय उपस्थित सदस्यों के सामने होते हैं एवं दीर्घकालिक होते हैं। कार्य परिषद के निर्णय मेरिट के आधार पर चर्चा करके किये जाते हैं। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति होती है तो वह उस पर आपत्ति दर्ज कराये। कार्य परिषद की बैठक में गत बैठकों के कार्यवृत्तों की पुष्टि की जाती है। एक बार निर्णय लेने के बाद उस निर्णय को वापस नहीं लिया जा सकता है तथा कार्य परिषद का निर्णय अन्तिम होता है। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 22.10.2018 में सभी सदस्यों द्वारा कार्यवृत्त जारी होने के पश्चात After thought के कारण विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति पत्र जारी न करना–एक प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है जबकि प्रत्यावेदक के बाद अर्थात वर्ष 2010 में एक अन्य कर्मचारी श्री राकेश शर्मा को अनुबंधित छात्र सहायक के पद पर बिना नियुक्त कार्य परिषद की अनुमति अथवा पद न होने की स्थिति में भी किया गया। वर्ष 2017 की कार्य परिषद बैठक में प्रत्यावेदक के सम्बन्ध में पारित हुए निर्णय को आधार मानते हुए छात्र सहायक के पद को परिवर्तित करके श्री राकेश शर्मा को तृतीय श्रेणी में नियुक्त कर दिया गया जबकि श्री राकेश शर्मा की नियुक्ति इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में अनुबंध पर थी, परन्तु आज की स्थिति में श्री राकेश शर्मा नियमित विभाग में अनुबंध पर सेवा दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का कथन है कि श्री राकेश शर्मा की नियुक्ति संविदा कर्मी के रूप में छात्र सहायक के पद पर आई.ई.टी. संस्थान, खंदारी परिसर में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत हुई थी तथा श्री शर्मा वर्ष 2010 से लगातार कार्यरत हैं। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 20.01.2021 में लिये गये निर्णय पर व्यवहारिक आपत्तियॉ दृष्टिगोचित होने के विषय में प्रत्यावेदक का कथन है कि विश्वविद्यालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय एवं कार्य परिषद के निर्णय को प्रत्यावेदक के प्रकरण पर ही लागू किया गया।

प्रो0 अशोक मित्तल द्वारा कारित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं की जॉच बिन्दुओं में प्रत्यावेदक की नियुक्ति का प्रकरण भी अच्छादित था, के विषय में प्रत्यावेदक का कथन है कि राजभवन के पत्र दिनांक 05.07.2021 में कहीं पर भी प्रत्यावेदक के नाम का उल्लेख नहीं था अर्थात जब जॉच समिति ने जॉच की थी तब विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री अरूण दीक्षित ने तत्कालीन कुलपति के विरूद्ध प्रत्यावेदक को सम्मिलित करते हुए अन्य शिकायतों के साथ उसकी शिकायत समिति से की थी अर्थात प्रथमतः पहले आरोप पत्र में प्रत्यावेदक का नाम कहीं भी नहीं था, जिसे बाद में वैमनस्यतापूर्वक जोड़ दिया गया।

4(ब). संस्थान के निदेशक की संस्तुति के अनुसार कुलसचिव को 06 सप्ताह में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2022 का अनुपालन "Reasoned & Speaking Order" द्वारा कराया जाना था परन्तु समयावधि में अनुपालन नहीं हुआ। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये हुये आदेश पारित किया गया। विश्वविद्यालय का इस कथन कि प्रत्यावेदक के द्वारा डी0एस0 कॉलेज, अलीगढ़ में अंशकालिक सेवाएं प्रदान की गयी ऐसी स्थिति में उसका दावा नहीं बनता है, के विषय में प्रत्यावेदक का कथन है कि क्या सरकारी सेवा में अन्य जगह पर आवेदन करने पर सेवायें नहीं दी जा सकती हैं। अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जाता है यह कहना सही नहीं है। अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह का नोटिस प्रदान किया जाता है या सूचना प्रदान की जाती है, जो प्रत्यावेदक के साथ नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 28.12.2022 को निरस्त करते हुये कार्य परिषद में हुए निर्णयों एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रत्यावेदक को सेवा विस्तार दिये जाने तथा विश्वविद्यालय द्वारा उल्लिखित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रत्यावेदक के सेवा विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना समीचीन नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

5. प्रकरण में, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 28.12.2022 का सुसंगत अंश अवलोकनीय है जो निम्नवत् है :–

....."माननीय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 01.10.2019 द्वारा अन्य मद संख्या 02 के अंतर्गत श्री नीरज गोयल को स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में कम्प्यूटर सहायक के पद पर अर्हता आदि देख कर अनुबन्ध पर नियुक्ति प्रदान की जाये' का निर्णय लिया गया ।

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या : वी0सी0/पी0ए0/001/2021 दिनांक 16.04.2021 द्वारा कुलपति सचिवालय के वैयक्तिक सहायक द्वारा रूपये 18000/– प्रतिमाह पर कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर सेठ पदम चन्द्र जैन संस्थान, खंदारी परिसर में एक वर्ष की अवधि हेतु अनुबन्ध/संविदा पर नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया ।

प्रकरण में विश्वविद्यालय अधिवक्ता डॉ0 अरुण दीक्षित से दिनांक 06.12.2022 को विधिक अभिमत प्राप्त किया गया जिसमें उन्होंने निम्नवत् उल्लेख किया है :

....

LEGAL OPINION

After pursuing the file and considering all the facts and circumstances, in my legal opinion it would not be appropriate to extend the service of Neeraj Goyal. The Three member committee constituted by the Chancelor, Dr. B.R. Ambedkar University, Agra presided by Hon'ble Justice Smt. Ranjana Pandya (Reted. Judge, Hon'ble High Court, Allahabad) also found the appointment of Neeraj Goyal illegal. The findings given by the inquiry committee the appointment of Mr. Neeraj Goyal is illegal and the delinquent officer, Prof. Ashok Mittal is found guilty of charge no. 3.

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श तथा अभिलेखों के परीक्षण/अवलोकन के उपरान्त निम्नवत् निष्कर्ष प्रदान किया गया है:

श्री नीरज गोयल की नियुक्ति विधि विरुद्ध होने के कारण उनके सेवाविस्तार सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 29.06.2022 को निरस्त/निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

उपरोक्तानुसार समिति की संस्तुति के आधार पर मा0 कुलपति जी के अनुमोदन दिनांक 27.12.2022 के कम में श्री नीरज गोयल की नियुक्ति विधि विरुद्ध होने के कारण उनके सेवा विस्तार सम्बन्धी प्रत्यावेदन दिनांक 29.06.2022 को निरस्त/निक्षेपित किया जाता है ।"

6. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक के कथनानुसार उसके द्वारा विश्वविद्यालय के सेठ पदमचन्द जैन संस्थान में वर्ष 2004 से वर्ष 2011 तक छात्र सहायक के रूप में अनुबन्ध पर अनवरत सेवायें प्रदान की गयी थीं। प्रत्यावेदक वर्ष 2011 के बाद से अपनी सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने हेतु अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता रहा। विश्वविद्यालय की आख्या के अनुसार प्रत्यावेदक दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 15.04.2021 तक डी0एस0 कॉलेज, अलीगढ़ में

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में अंशकालिक, कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत रहा है जबकि श्री राकेश शर्मा वर्ष 2010 से संविदा पर स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में लगातार सेवारत हैं। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 के मद संख्या–7 में विचारोपरान्त पूर्व की सेवाओं के आधार पर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रत्यावेदक को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर अनुबन्ध पर नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया किन्तु कार्य परिषद की बैठक दिनांक 22.10.2018 के मद संख्या 01 पर कार्य परिषद के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 25.11.2017 की सम्पुष्टि होने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। प्रत्यावेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट ए संख्या 9995/2020 के पश्चात योजित रिट ए संख्या : 10541/2022 में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को विश्वविद्यालय को सकारण एवं मुखरित आदेश द्वारा प्रकरण छः सप्ताह में निर्णीत किये जाने के आदेश दिये गये। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त निर्णयादेश दिनांक 2507.2022 के क्रम में प्रत्यावेदक की नियुक्ति विधिविरुद्ध पाते हुए उसके सेवा विस्तार सम्बन्धी प्रत्यावेदक को निरस्त/निक्षेपित कर दिये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में पुनः योजित रिट ए संख्या 1944/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.02.2023 के द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–68 के अन्तर्गत वैधानिक वैकल्पिक उपचार के अन्तर्गत प्रकरण शीघ्र निस्तारित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये।

7. यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यावेदक विश्वविद्यालय के सेठ पदमचन्द जैन संस्थान में वर्ष 2004 से वर्ष 2011 तक अनवरत छात्र सहायक के रूप में अनुबन्ध पर कार्यरत रहा एवं प्रत्यावेदक द्वारा वर्ष 2011 के पश्चात डी0एस0 कॉलेज, अलीगढ़ में अनुबन्ध पर कार्य किया गया है। प्रत्यावेदक द्वारा अपनी सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के क्रम में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 के मद संख्या–7 में विचारोपरान्त पूर्व की सेवाओं के आधार पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत प्रत्यावेदक को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर अनुबन्ध पर नियुक्त किये जाने का निर्णय लेकर उसे सर्वोच्च प्राधिकारी निकाय,

कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। प्रत्यावेदक की उपर्युक्त सेवायें नितान्त अस्थायी/संविदात्मक प्रकृति की रही हैं।

8. स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक को विश्वविद्यालय में वर्ष 2004 से 2011 तक अस्थायी रूप से छात्र सहायक के पद पर नियोजित किया गया था। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार छात्र सहायक का पद विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं होने व यह भी निर्धारित नहीं होने कि पूर्व में उक्त पदनाम से संविदा पर कार्यरत कर्मचारी तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत है अथवा चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत, इस प्रकार से प्रत्यावेदक को संविदा पर कम्प्यूटर कार्य हेतु संलिप्त किये जाने की संस्तुति की गयी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, प्रत्यावेदक व विश्वविद्यालय के कथनों से यह सिद्ध होता है कि प्रत्यावेदक विश्वविद्यालय की नियमित सेवा में कभी कार्यरत नहीं रहा है। प्रत्यावेदक को विश्वविद्यालय के सेठ पदमचन्द जैन संस्थान में वर्ष 2004 से वर्ष 2011 तक अनवरत रूप से छात्र सहायक के रूप में अनुबन्ध/नियत वेतन/अस्थायी कर्मचारी की भांति नियोजित किया गया था। इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय एवं मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधियॉ (1) **सेकेटरी, स्टेट ऑफ कर्नाटका व अन्य प्रति उमादेवी (3) व अन्य, (2006) 4 एससीसी 1,** (2) **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कौशल किशोर, (1991) 1 एससीसी 691** एवं (3) **त्रिवेनी शंकर सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1992 एससी 496** अवलोकनीय हैं जिनमें मा0 न्यायालय द्वारा संविदाकर्मियों व अस्थायी कर्मियों की सेवाओं के बारे में अवधारित किया गया है कि अस्थायी कर्मियों का पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं होता है अतएव पद रिक्त रहने के बावजूद भी संविदा, स्ववित्तपोषित व अस्थायी कर्मियों को पद पर बने रहने संबंधी कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। नियोक्ता को ऐसे अस्थायी कर्मियों की नियुक्ति हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह एक नीतिगत विषय है। उपर्युक्त निर्णयज विधियों के आलोक में प्रत्यावेदक को सेवा विस्तार किये जाने अथवा उसके द्वारा याचित अनुतोष प्रदान

किये जाने का कोई विधिक आधार नहीं है। प्रत्यावेदक के संविदा/नियत वेतन पर कम्प्यूटर पर कार्य करने अथवा उसके नियोजन हेतु प्रस्तावित/संस्तुत किये जाने मात्र से उसे तृतीय श्रेणी कर्मी के पद पर कार्यरत होना न मानते हुए याचित अनुतोष प्रदान न किये जाने अथवा सेवा विस्तार न प्रदान किये जाने सम्बन्धी विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 28.12.2022 में कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है एवं इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदक के कथन व तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

9. प्रत्यावेदक द्वारा वर्ष 2011 के बाद से सेवाओं की निरन्तरता बनाये रखने संबंधी अनुरोध के क्रम में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 में विचारोपरान्त पूर्व की सेवाओं के आधार पर स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत प्रत्यावेदक को कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर अनुबन्ध पर नियुक्त किये जाने का निर्णय लेकर कार्य परिषद की बैठक दिनांक 22.10.2018 में उपर्युक्त निर्णय दिनांक 25.11.2017 की सम्पुष्टि होने के पश्चात् भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। कार्य परिषद के निर्णय एवं उक्त निर्णय की पुष्टि होने के आधार पर प्रत्यावेदक को कम्प्यूटर ऑपरेटर अनुबन्ध पद पर नियुक्ति पाने का अधिकार होने के दृष्टिगत प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय में उसे सेवा विस्तार प्रदान कराये जाने की याचना की गयी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधियाँ **(1) शंकरसन दास बनाम यूनियन आफ इण्डिया (1991) 3 एससीसी 47 (संविधान पीठ), (2) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजकुमार शर्मा, (2006) 3 एससीसी 330, (3) अरूप दास बनाम असम राज्य, (2012) 5 एससीसी 559** एवं **(4) बालाकृष्णा बहेरा व अन्य बनाम सत्य प्रकाश दास (2008) 1 एससीसी 318** अवलोकनीय हैं जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि किसी पद पर नियुक्ति करना अथवा न करना नियोक्ता का नीतिगत विषय है जिसके लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता।

10. उल्लेखनीय है कि डी0एस0 कॉलेज, अलीगढ़ के प्राचार्य के पत्र दिनांक 23.03.2023 के अनुसार प्रत्यावेदक द्वारा दिनांक 01.11.2014 से 15.04.2021 तक डी0एस0 कॉलेज, अलीगढ़ में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम में कार्यालय सहायक (अंशकालिक)

पद पर कार्य किया गया तथा 07 वर्ष उपरान्त अपनी पूर्व सेवा विस्तार संबंधी प्रत्यावेदन कुलपति को पुनः प्रस्तुत किया गया। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.11.2017 में पूर्व सेवाओं के आधार पर प्रत्यावेदक को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर अनुबन्ध पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। प्रत्यावेदक की पत्नी श्रीमती शालिनी गोयल द्वारा प्रकरण के निस्तारणार्थ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.08.2023 व अन्य के माध्यम से यह अवगत कराते हुए कि उनके पति/प्रत्यावेदक का सेप्टिक शॉक व मल्टी ऑर्गन फेल्योर के कारण दिनांक 08.07.2023 को हॉस्पिटल में स्वर्गवास हो गया है। प्रत्यावेदिका द्वारा प्रत्यावेदक का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मैक्स हेल्थकेयर हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया है। प्रत्यावेदक के स्वर्गवास हो जाने के दृष्टिगत प्रत्यावेदक द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–68 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन/प्रकरण निष्प्रयोज्य (infructuous) हो गया है तथा इस पर किसी अन्य कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

11. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपरोक्त विवेचन एवं विधि व्यवस्था के आलोक में प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निष्प्रयोज्य (infructuous) हो जाने के आधार पर निरस्त करते हुए तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. श्रीमती शालिनी गोयल पत्नी स्व0 नीरज गोयल, 20 प्रभु नगर, जयपुर हाउस, आगरा (पिन कोड–282002)।
2. कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

01.1.24

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।